आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Department of Fisheries and Fishermen Welfare, Government of Puducherry

Welfare and Relief for Fishermen during Lean Seasons and Natural Calamities

पुडुचेरी में मछुआरा परिवारों को मानसून की मंदी, प्राकृतिक आपदा और मछली पकड़ने की पाबंदी के दौरान, जब वे समुद्र में नहीं जा पाते, नकद राहत मिलती है।

क्या मिल सकता है

हर पात्र मछुआरा परिवार को मानसून या प्राकृतिक आपदा के बाद मंदी राहत और मछली पकड़ने की पाबंदी के दौरान पाबंदी राहत मिलती है, जो पाबंदी लंबी होने पर ज़्यादा होती है। पैसा ईसीएस से सीधे बैंक खाते में जाता है। ताज़ा प्रकाशित राशियाँ पुराने नियमों में दी गई हैं।

किसके लिए है

पुडुचेरी के मछुआरा परिवार जिनके पास परिवार राशन कार्ड और मछुआरा सहकारी समिति का सदस्यता प्रमाणपत्र है।

मुख्य शर्तें

- आपके पास पुडुचेरी का परिवार राशन कार्ड और यहाँ की किसी मछुआरा सहकारी समिति का सदस्यता प्रमाणपत्र हो।
- आप सामान्यतः पुडुचेरी में रहते हों और जिस अवधि की राहत दी जा रही है उस दौरान विदेश में न रह रहे हों।
- परिवार में किसी को वृद्धावस्था पेंशन मिलने या आपके पास मछली पकड़ने की नाव होने या न होने के आधार पर आपको मना नहीं किया जाएगा।
- आप या राशन कार्ड पर कोई और सदस्य सरकारी, अर्ध-सरकारी या सरकारी उपक्रम की नियमित सेवा में या सेवानिवृत्त सरकारी पेंशनर न हो।

दस्तावेज़

- परिवार राशन कार्ड
- मछुआरा सहकारी समिति का सदस्यता प्रमाणपत्र

आवेदन कैसे करें

1. विभाग की आधार सूची में पहले से शामिल लोगों को, जब तक वे अपनी सहकारी समिति के सदस्य हैं, दोबारा आवेदन नहीं करना पड़ता।
2. नए दावेदार, जैसे नए विवाहित मछुआरे, राशन कार्ड और समिति के सदस्यता प्रमाणपत्र के साथ मत्स्य एवं मछुआरा कल्याण विभाग को आवेदन दें।
3. अंतिम सूची बनने से पहले लाभार्थियों की प्रारूप सूची आपत्तियों के लिए विभाग की वेबसाइट पर रखी जाती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://styandptg.py.gov.in/2023/MARCH/EXTRAORDINARYPART-II/1/31-PART-II%20dated%2030-03-2023.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/puducherry/py-fishermen-lean-season-and-ban-period-relief/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।